

दुनिया में लोकतंत्र कितना आदर्श कितना विकृत

दुनिया में भारत विचारों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। भारत जब गुलाम हुआ तब भारत में चिंतन बंद हुआ तथा भारत विदेशों की नकल करने लगा। पश्चिम के देशों ने तानाशाही के विकल्प के रूप में लोकतंत्र को विकसित किया। लोकतंत्र तानाशाही का समाधान न होकर एक अस्थायी सुधार मात्र था। अब तक वही विकृत लोकतंत्र दुनिया में तानाशाही से मुकाबला कर रहा है, किन्तु वह समाधान न होने से कुछ समस्याएँ भी पैदा कर रहा है। कुछ स्वीकृत सिद्धांत हैं—

- (1) लोक सर्वोच्च है और तंत्र प्रबंधक। वर्तमान में तंत्र संरक्षक बन गया है और लोक संरक्षित।
- (2) दुनिया की अनेक बड़ी समस्याएँ धर्म, राष्ट्र, अर्थ आदि के माध्यम से वर्चस्व प्राप्त करने की छीनाझपटी का परिणाम है। इनमें भी राज्य की भूमिका सर्वाधिक है।
- (3) किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधक को कुछ शक्ति दी जाती है। यह शक्ति दाता की अमानत होती है, प्रबंधक का अधिकार नहीं। वर्तमान में राजनेता अमानत को अधिकार मानने लगे हैं।
- (4) स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राज्य उस अधिकार की सुरक्षा मात्र करता है। वर्तमान में राज्य दाता बन गया है।
- (5) राज्य कानून के द्वारा व्यक्ति की उच्छ्रंखलता पर नियंत्रण करता है, समाज पर नहीं, क्योंकि समाज मालिक होता है और राज्य प्रबंधक।
- (6) समाज एक अदृश्य इकाई है जिसमें दुनिया के सभी व्यक्ति समान रूप से शामिल होते हैं, चाहे वे कहीं के नागरिक हो या न भी हो।

दुनिया की व्यवस्था चार प्रवृत्तियों का समिश्रण होती है—(1) विचार मंथन और मार्ग दर्शन (2) शक्ति और सुरक्षा (3) धन और सुविधा (4) पूर्ण स्वतंत्रता और सेवा। इसे ही प्राचीन समय में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रवृत्ति का नाम दिया गया था। भारत मुख्य रूप से ब्राम्हण प्रवृत्ति का, इस्लाम क्षत्रिय प्रवृत्ति का, पश्चिम वैश्य प्रवृत्ति का और साम्यवाद शूद्र प्रवृत्ति को मुख्य आधार बनाकर चले। ब्राम्हण और वैश्य प्रवृत्ति वालों ने दुनिया में हिंसक खतरे को या तो निरुत्साहित किया या मजबूरी में अपनाया। जबकि क्षत्रिय और शूद्र प्रवृत्ति वालों ने हिंसा को पहले शस्त्र के रूप में उपयोग किया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने अपना नुकसान सहकर भी प्रत्यक्ष या कानूनी टकराव को टाला। कभी कभी ऐसे टकराव टालने को कायरता की भी संज्ञा दी गई किन्तु उन्होंने टकराव से बचने को प्राथमिकता दी। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सफल रहे। ऐसे परिवारों में हर सदस्य को यह विशेष ट्रेनिंग होती थी कि गलत बात बर्दास्त करने की आदत ही विचारक और वैश्य की पहचान होती है। दूसरी ओर अनेक परिवार मूँछ की लड़ाई में बर्बाद होते तक परेशान देखे गये। स्पष्ट है कि हिन्दू और इसाई ब्राम्हण या वैश्य प्रवृत्ति प्रमुख माने जाते हैं। दूसरी ओर मुसलमान साम्यवादी क्षत्रिय और शूद्र प्रवृत्ति के।

यदि हम वर्तमान विश्व की शांति व्यवस्था की समीक्षा करें तो दुनिया में लोकतंत्र निर्णायक बढ़त लेने के बाद भी युद्ध के खतरों से मुक्ति का विश्वास नहीं दिला पाया। कई विश्व युद्ध होने और उसके नुकसान को देखने के बाद भी दुनिया फिर विश्व युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रही है। वर्तमान दुनिया में विश्व युद्ध के लिए चार संभावनाएँ प्रबल हो रही हैं—(1) उत्तर कोरिया और अमेरिका। (2) पाकिस्तान और भारत (3) कतर और साउदी अरब (4) चीन और भारत। मैं स्पष्ट कर दूँ कि अमेरिका दुनिया में एक शक्ति केन्द्र के रूप में दिख रहा है, तो चीन दूसरे शक्ति केन्द्र के रूप में। विश्व युद्ध की दृष्टि से चीन हर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा तो अमेरिका भी चीन के विरुद्ध रहेगा ही। दुनिया चांद पर जा रही है नये नये ब्राम्हंड खोज रही है। गौड पार्टिकल तक रिसर्च हो रहा है किन्तु विश्व युद्ध से बचने का कोई स्थायी फार्मूला नहीं निकल पा रहा। विश्वयुद्धों में होने वाले नुकसान की विभीषिका की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है किन्तु वर्चस्व की लड़ाई उससे भी आगे निकल रही है।

हम यदि दुनिया से बाहर निकल कर भारत की समीक्षा करें तो भारत भी अपने आंतरिक मामलों में निरंतर गृहयुद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। नरेन्द्र मोदी के आने के पूर्व तक हिन्दू अपने को दूसरे दर्जे का नागरिक मानकर संतुष्ट रहने के लिए मजबूर था। स्पष्ट है कि गृहयुद्ध का कोई खतरा दूर दूर तक नहीं दिखता था। नरेन्द्र मोदी के आने के बाद आमतौर पर हिन्दुओं में वर्चस्व की इच्छा बढ़ी है जबकि मुसलमान अब भी अपनी पुरानी स्थिति के फिर से आने की प्रतिक्षा कर रहा है। यह वर्चस्व की लड़ाई ही भारत में गृहयुद्ध की संभावना का विस्तार कर

रही है। मुझे तो स्पष्ट दिखता है कि यदि भारत के मुसलमानों ने अपनी प्रतीक्षा को नहीं छोड़ा तो गृहयुद्ध टाला नहीं जा सकेगा। सारी दुनिया में भी मुस्लिम साम्प्रदायिकता इस सीमा तक कटघरे में खड़ी हो चुकी है कि कहीं से उन्हें भारत में मजबूत समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। भारत का हिन्दू जनमत अब तीन वर्ष पूर्व की स्थिति में जाने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत का गृहयुद्ध टालने की पहल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विवेक के पास ही है।

मैं देख रहा हूँ कि यदि भारत के मुसलमान दब भी गये तो साम्प्रदायिक संघ परिवार उसे दबने नहीं देगा। क्योंकि साम्प्रदायिकता को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसे तो सिर्फ कुचला ही जा सकता है और वर्तमान परिस्थितियों में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता को एक साथ कुचलना मोदी के बस की बात नहीं है। इसलिए यह संभव दिखता है कि यदि मुसलमानों ने सुझबुझ से काम नहीं लिया तो संघ परिवार के बढ़ते वर्चस्व पर नियंत्रण असंभव हो जायेगा। विपक्ष में नीतिश कुमार को छोड़कर अन्य कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे भारत के अल्पसंख्यकों को कोई उम्मीद करनी चाहिये। लेकिन नासमझ अल्पसंख्यक अब भी इन मृत विपक्षी नेताओं के जीने की प्रतीक्षा में समय गंवा रहे हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के अल्पसंख्यकों को जल्दी ही निर्णय लेना चाहिये। उनके समक्ष तीन विकल्प दिखते हैं—

(1) अल्पसंख्यक बहुत तेजी से समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द और कानून का विरोध शुरू करें। स्पष्ट है कि संघ परिवार समान नागरिक संहिता के विरुद्ध समान आचार संहिता अथवा हिन्दू राष्ट्र की मांग शुरू कर देगा।

(2) भारत के अल्पसंख्यक बहुत तीव्र गति से कश्मीर के कटटरवादी मुसलमानों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दें। कश्मीर का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि सैनिक बल पर होना चाहिए, यह मांग अल्पसंख्यक करनी शुरू कर दें।

(3) भारत के अल्पसंख्यक बहुत तेजी से नरेन्द्र मोदी के पक्ष में खड़े हो जाये क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी और संघ परिवार के बीच वर्चस्व के लिए टकराव होना निश्चित है।

(4) यदि विपक्ष को मजबूत करना हो तो अल्पसंख्यकों को नीतिश कुमार की तरफ धुवीकृत हो जाना चाहिए। हमें विश्व युद्ध से बचने का मार्ग भी खोजना होगा और गृहयुद्ध से भी। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वयुद्ध को कुछ दिन के लिए विलंबित कर सकता है किन्तु खतरा हमेशा बना रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि एक विश्व सरकार की पहल की जाये। वह विश्व सरकार राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व न करे बल्कि मनुष्यों का करें। अर्थात् दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उस विश्व सरकार का मतदाता हो। विश्व सरकार के पास काम के रूप में सिर्फ सुरक्षा और न्याय ही हो। इस तरह एक विश्व समाज की रूपरेखा बनायी जा सकती है। यद्यपि यह यूटोपिया से अधिक कुछ नहीं दिखता किन्तु वैचारिक शुरुवात तो हो ही सकती है। इसके साथ साथ गृहयुद्ध को टालने के लिए हमें भारत के अल्पसंख्यकों को यथार्थ स्थिति से अवगत कराना चाहिए तथा ज्यों ज्यों अल्पसंख्यक यथार्थ को समझने लगे त्यों त्यों हम हिन्दू साम्प्रदायिकता पर भी आक्रमण बढ़ाते चले। गृहयुद्ध को टालने के लिए दो साम्प्रदायिक शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आशा है कि भारत के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस दिशा में सोचेंगे।

लोक तंत्र हमारा मार्ग है लक्ष्य नहीं। कई सौ वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि भारत विश्व युद्ध या गृह युद्ध के भय से मुक्त नहीं हो सका तो भारत को लोक तंत्र की कमजोरियां खोजकर दुनिया का मार्ग दर्शन करना चाहिये। मुस्लिम साम्प्रदायिकता से सुरक्षा के लिये यदि हिन्दू साम्प्रदायिकता का सहारा लेना पड़ रहा है तो यह हमारी अल्प कालिक मजबूरी तो हो सकती है किन्तु समाधान नहीं। हम इस गंभीर विश्व व्यापी समस्या के दीर्घकालिक समाधान पर भी विचार करें। दुनिया को तानाशाही से मुक्त बनाने की दिशा में पश्चिम निरंतर प्रयत्नशील है। भारत दुनिया को साम्प्रदायिकता से मुक्त कराने की दिशा में पहल कर सकता है। मेरे विचार से वह पहल हो भी चुकी है। भारत को अपने आंतरिक लोकतंत्र के सुधार के लिये संसद में सत्ता और विपक्ष की शासन प्रणाली को बदलकर निर्दलीय संसद व्यवस्था की भी पहल करनी चाहिये।

दुनिया के लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं और हम के बीच मैं हम पर हावी हो जा रहा है। यह स्थिति परिवार से लेकर विश्व तक की बन गई है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के दसवे नियम में मैं और हम की सीमाएं बताई है किन्तु उन्हें ठीक से समझा नहीं जा रहा है। मेरे विचार से समय आ गया है कि मैं पर हम भारी पड़े।

लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र होता है जिसमें तंत्र सरकार होता है। तंत्र सुशासन की चिंता करता है। तंत्र कस्टोडियन अर्थात् संरक्षक होता है। तंत्र सर्वाधिकार सम्पन्न होता है। वह कानून भी बनाता है,पालन भी कराता है तथा समीक्षा भी करता है। तंत्र समाज से भी उपर होता है। तंत्र जब चाहे जितना चाहे उतने अधिकारों के उपयोग की समाज को अनुमति देता है तथा जब चाहे अनुमति वापस ले सकता है। तंत्र ही जनहित को परिभाषित कर सकता है, जन या व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं।

लोकतंत्र का संशोधित परिमार्जित स्वरूप है लोक स्वराज्य अर्थात् सहभागी लोकतंत्र। इसमें तंत्र सरकार न होकर प्रबंधक होता है। तंत्र सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहकर प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तंत्र संविधान के अनुसार कानून बनाता पालन कराता तथा समीक्षा करता है किन्तु तंत्र संविधान संशोधन नहीं कर सकता। तंत्र समाज से नीचे होता है और व्यक्ति से उपर। जब कोई व्यक्ति समाज से भी उपर होकर मनमानी करने लगे तब तंत्र हस्तक्षेप करता है। समाज के विभिन्न समूह परिवार गांव जिला प्रदेश और केन्द्र जितना कार्य तंत्र को सौंपते है तंत्र उतना ही करता है। तंत्र आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोक की सहमति से तंत्र अपने खर्च के लिये टैक्स लगाता है न कि मनमाना। लोक की विभिन्न इकाइयां अपने अधिकार अपने पास रखती हैं। वे जनहित को स्वयं परिभाषित कर सकती है।

मेरे विचार से यह अवधारणा मूल रूप से भारत की रही है जो गुलामी काल से विलुप्त हुई तथा बाद में पश्चिम की नकल के रूप में आयी। अब भारत ही इसकी पहल कर सकता है।

मंथन क्रमांक 44

एन0 जी0 ओ0 समस्या या समाधान

कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत है—(1)राज्य एक आवश्यक बुराई माना जाता है। राज्यविहीन समाज व्यवस्था युटोपिया होती है और राज्य नियंत्रित समाज व्यवस्था गुलामी। राज्ययुक्त किन्तु राज्य मुक्त समाज व्यवस्था आदर्श मानी जाती है।

(2) अपराधी और राजनीतिज्ञ बहुत मायावी होते है जहाँ भी लाभ या प्रतिष्ठा के अधिक अवसर देखते है वही ये वेश बदलकर उस भीड का नेतृत्व करने लगते है।

(3)यदि समाज सेवी संस्थाओं या संगठनों में भ्रष्टाचार दो प्रतिशत से अधिक हो जाये तो उनका तत्काल निजीकरण कर देना चाहिये।

4) अधिकांश भ्रष्ट लोग निजीकरण का सबसे अधिक विरोध करते है।

मुझे एन जी ओ का पुराना इतिहास पता नहीं है। मुझे यह भी पता नहीं है कि एन जी ओ कब संस्था के रूप में था और कब से संगठन बना। किन्तु मुझे यह पता है कि प्राचीन समय में एन जी ओ स्वयं सेवी संस्था के रूप में कार्य करता था और आज गैर सरकारी संगठन के रूप में। प्राचीन समय में संस्थाओं पर समाज का नियंत्रण होता था किन्तु आज इन पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में एन जी ओ हमेशा संस्था के रूप में रही किन्तु पश्चिम के प्रभाव में उसका स्वरूप संगठन के रूप में बन गया। संस्थायें सिर्फ समाज सेवा का काम करती थी, समाज पर नियंत्रण करने का नहीं किन्तु एन जी ओ सरकार और समाज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे।

राज्य हमेशा ही समाज पर अपना अधिकतम हस्तक्षेप बनाये रखना चाहता है। लोकतंत्र उस हस्तक्षेप में आंशिक रूप से बाधक रहा किन्तु जब दुनिया में साम्यवाद मजबूत होने लगा तब से लोकतंत्र के समक्ष भी संकट पैदा हुआ। साम्यवाद सम्पूर्ण सरकारीकरण की व्यवस्था थी और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर गैर सरकारी संस्थायें पूरी तरह सरकार मुक्त व्यवस्था थी और सरकार के लिए समस्या भी थी। कुछ लोकतांत्रिक देशों ने साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच एन जी ओ को एक मध्यमार्ग चुना। एन जी ओ के माध्यम से सरकारें सामाजिक कार्यों के लिए धन देने लगी। स्पष्ट है कि सरकारों द्वारा बनायी गई अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाईश बहुत अधिक होती थी और सामाजिक संस्थाओं का पूरा इतिहास ईमानदारी का रहा है इसलिए भी एन जी ओ को अच्छा माध्यम माना गया। किन्तु यह बात भी स्वाभाविक है कि ईमानदार से ईमानदार व्यवस्था को भी लम्बे समय तक अधिक अधिकार दे दिये जाये तो उसमें भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होने लगते है। हमने भारत में देखा है कि स्कूलों के शिक्षक अन्य सभी विभागों की तुलना में अधिक ईमानदार रहे है। किन्तु जब उन्हें साल बीज, बिडी पत्ता, खरीदने के काम में लगाया गया तो उसका दुष्प्रभाव पूरे शिक्षक

विरादरी पर दिखाई दिया। न्यायपालिका को भी ईमानदार बताया जाता रहा किन्तु धीरे धीरे अधिकार बढ़ने के कारण उनमें भी भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। लगभग यही स्थिति गैर सरकारी संगठनों की भी हुई। जो भी काम इन्हें दिया गया उनमें सरकारी विभागों की तुलना में अधिक भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ पाया गया। आज तो स्थिति यहाँ तक हो गई है कि एन जी ओ एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। मेरे एक मित्र एक बड़ा सामाजिक बोर्ड लगाकर एन जी ओ चलाते थे। उन्हें जब पता चला कि गोशाला के नाम से बहुत कमाई हो सकती है तो उन्होंने एक फर्जी गोशाला रजिस्टर्ड कराकर उसी नाम पर बहुत घपला करना शुरू किया। स्पष्ट है कि जहाँ लाभ और प्रतिष्ठा के अधिक अवसर दिखते हैं वहीं राजनेता व्यवसायी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये लोग मायावी होते हैं और आसानी से वेश बदलना जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान भारत में अनेक एन जी ओ ऐसे खुल गये हैं जिनका संचालन अपराधियों राजनेताओं या बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के परिवारों के पास है। स्पष्ट है कि इन सबका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है।

अब तो धीरे धीरे एन जी ओ एक नई समस्या के रूप में विकसित हो रहे हैं। अनेक ऐसे संगठनों को या तो विदेशों से धन मिलता है या सरकार से। ये धनदाताओं की इच्छा अनुसार समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। अधिकांश एन जी ओ अब वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं क्योंकि दाता विदेशियों का यही मुख्य उद्देश्य है। कोई बचपन बचाओं तो कोई महिला बचाओं के नाम पर वर्ग संघर्ष को विस्तार दे रहा है। कुछ अन्य संगठन आदिवासी और हरिजन के नाम पर भी वही काम कर रहे हैं। मुझे तो एक भी ऐसा एन जी ओ नहीं दिखा जो समाज सशक्तिकरण अथवा वर्ग समन्वय का काम कर रहा हो क्योंकि कोई विदेशी संस्था यह नहीं चाहती कि भारत में वर्ग समन्वय हो। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि एन जी ओ के लोग स्वयं ही सत्ता के सूत्रधार बनने का प्रयास करने लगे। अनेक बड़े एन जी ओ वालों ने या तो स्वयं राजनीति में प्रवेश किया अथवा अपने चमचों को वहाँ तक पहुँचाया। आर्थिक कठिनाई थी ही नहीं। सामाजिक संस्था के नाम से प्रतिष्ठा भी थी और सत्ता में जाने की पूरी पूरी छूट भी थी। मैंने तो देखा है कि नक्सलवाद को हवा देने में भी एन जी ओ की अधिक भूमिका रही है। नक्सलवादियों के मुख्य संरक्षक किसी न किसी एन जी ओ का बोर्ड लगाकर अवश्य रखते हैं।

एन जी ओ चाहे जिस भी अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू किये गये हो किन्तु भारत में समाज को तोड़ने में वे अधिक भूमिका अदा कर रहे हैं। ये समाज में अव्यवस्था अधिक फैला रहे हैं। इन्हें मानव स्वभाव तापवृद्धि की कभी चिंता नहीं रही किन्तु पर्यावरणीय तापवृद्धि के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। सारे प्राकृतिक वातावरण का ठेका इन्हीं व्यावसायिक सामाजिक संगठनों ने अपने पास उठा रखा है, भले ही विकास कितना भी पिछड़ जाये। ये एन जी ओ कभी बिजली उत्पादन की वृद्धि नहीं होने देते क्योंकि इन्हे धन देने वाले विदेशियों की आंतरिक इच्छा यही रहती है। एक तरफ तो एन जी ओ समाज के लिए समस्याएँ पैदा कर रहे हैं दूसरी ओर इनमें भ्रष्टाचार भी 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसलिए सरकार और संस्थाओं के बीच में अब इन गैर सरकारी संस्थाओं से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। हमें नहीं चाहिये ऐसी सामाजिक संस्थाएँ जो समाज सेवा का बोर्ड लगाकर समाज में अव्यवस्था फैलाती हैं। इनका तत्काल निजीकरण कर देना चाहिये।

अंत में मेरा यह सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि वह धीरे धीरे ऐसे गैरसरकारी संगठनों पर शिकंजा मजबूत करें और इन्हे मजबूर कर दे कि वे शासन मुक्त सामाजिक संस्थाओं के रूप में सेवा कार्य की पुरानी परिपाटी पर लौट जायें।

मंथन का अगला विषय " शिक्षा व्यवस्था" होगा।

नीतिश भाजपा मिलन की एक समीक्षा

संभवतः सम्पूर्ण भारत में मैं ऐसा अकेला व्यक्ति हो सकता हूँ जिसने 7-8 वर्ष पूर्व ही नीतिश कुमार, नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के विषय में ऐसा सही अनुमान लगाया हो जैसा वर्तमान में हो रहा है। मैंने 10 वर्ष में ज्ञानतत्व पाक्षिक में कई बार लिखा कि नरेन्द्र मोदी और नीतिश कुमार प्रधानमंत्री के लिए सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं क्योंकि दोनों में कुटनीतिक समझबूझ औरों से कई गुना अधिक है। साथ ही मैंने यह भी लिखा था कि राहुल गांधी इन दोनों से शराफत के मामले में अधिक हो सकते हैं किन्तु कूटनीति के मामले में पूरी तरह शून्य हैं। राहुल गांधी गांधी की दिशा में तो चल कर सफल हो सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं किन्तु नेहरु या इंदिरा की लाईन पर उनकी सफलता शून्य ही रहेगी। आज अक्षरशः सत्य दिख रहा है। मेरी 10

वर्ष पूर्व की लिखित घोषणा में यह भी था कि लालू मुलायम, मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी सरीखे अतिस्वार्थी राजनेताओं का भविष्य समाप्ति की ओर जायेगा। कुछ कार्य तो पूरा हो गया है, लालू का समापन कार्य जारी है क्योंकि समोसे का आलू सड़ गया है और उसके बाद ममता बनर्जी का भी यही हश्र होगा। अतिचालाकी लम्बे समय तक नहीं टिक पाती है।

पिछले कई महिनों से मेरे मन में एक छटपटाहट थी कि देशहित में नीतिश कुमार और नरेन्द्र मोदी एक साथ क्यों नहीं जुड़ जा रहे। दोनों की क्षमतायें और योग्यतायें लगभग एक समान हैं। बल्कि लोकतंत्र पर नरेन्द्र मोदी की तुलना में नीतिश कुमार कुछ अधिक विश्वसनीय दिखते हैं किन्तु अब इतने महिने बाद यह कार्य पूरा हुआ। नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की है तो नीतिश कुमार ने संघ मुक्त भारत की। दोनों की घोषणाएँ अलग अलग पूरी नहीं हो सकती और इसलिए दोनों ने मिलकर अच्छा किया।

नीतिश कुमार और लालू का एक साथ रहना तेल और पानी के समान था। लालू प्रसाद ने शुरु से ही नीतिश की जगह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की तिकडम जारी रखी। शहाबुद्दीन ने जेल से छुटते ही जो कहा वह नीतिश कुमार ने पूरी तरह समझ लिया और उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गये थे, सिर्फ बहाना खोजने की देर थी। लालू प्रसाद आश्वस्त थे कि नीतिश कुमार के त्याग पत्र देते ही वे अपने लडके को नया मुख्यमंत्री बनवा देंगे। जनता दल यू में भी उन्होंने अपनी पर्याप्त पकड बना रखी थी किन्तु नीतिश कुमार, नरेन्द्र मोदी की योजना के सामने लालू मात खा गये। जिस तरह इन दोनों ने मिलकर फुलप्लूफ योजना अनुसार शपथ ग्रहण की वह लालू प्रसाद के लिए असंभव थी।

मैं समझता हूँ कि नीतिश कुमार का नरेन्द्र मोदी के साथ जुड़ना संघ परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आयेगा। शिवसेना ने तो विरोध भी शुरु कर दिया है किन्तु देश के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम होगा। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक माना जाता है। नीतिश कुमार विपक्ष के अभाव में विपक्ष की भूमिका को ठीक तरीके से कार्यावित करेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। यह भी संभव दिखता है कि इस मिलन के आधार पर भारत साम्प्रदायिक गृहयुद्ध से भी शायद बच जाये।

आधार समीक्षा

मैं बहुत पुराने समय से ही सोचता और लिखता रहा हूँ कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा परिचय पत्र दिया जाना चाहिये जिसकी आसानी से नकल न हो सके। मैं जब सोचता था उस समय की भौतिक परिस्थितियाँ गरीबी और अधिक पिछडी हुई थी इसलिए मेरी कल्पना यह थी कि जो लोग ऐसा परिचय पत्र नहीं खरीद पायेंगे उन्हें उनके हाथ के किसी निश्चित स्थान पर उनका कमांक लिख दिया जायेगा, जो अमिट होगा। अब आधार कार्ड लगभग वैसा ही स्वरूप ले चुका है।

मेरी कल्पना यह थी कि ऐसा परिचय पत्र सभी क्षेत्रों में सहायक होगा। अपराधियों और आतंकवादियों को पकडने में मदद करेगा। विदेशी घुसपैठ भी नियंत्रित होगी। सामान्य व्यवस्था में भी उससे बहुत सुविधा होगी। भ्रष्टाचार भी रुकेगा। वह परिचय पत्र ग्यारह अंको का होगा। जिसमें पहले दो अंक लोकप्रदेश के। दूसरे दो अंक लोक जिले के। तीसरे दो अंक गाँव के। चौथे तीन अंक परिवार के। और अंतिम दो अंक व्यक्ति की पहचान करेंगे। पूरे देश में 99 लोक प्रदेश होगा जिसमें एक लोक प्रदेश में 99 जिले, एक जिले में 99 गाँव, एक गाँव में अनुमानित 1500 व्यक्ति। यही कोड नंबर प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति, गाडी, फोन नंबर, बैंक एकाउंट, न्यायालय के मुकदमें, या पोस्ट ऑफिस के पत्राचार के भी होंगे। वर्तमान आधार आबादी बढ़ने के कारण 12 अंको का किया गया तथा संख्या कम कुछ अधिक नये तरीके से किया गया। किन्तु मेरे विचार से बहुत अच्छी दिशा है और इसे मजबूती से बढ़ाया जाना चाहिये।

कुछ लोगों को आधार से असुविधा हो रही है। जो लोग देश में अव्यवस्था को ही राजनैतिक परिवर्तन का मुख्य आधार मानते रहे हैं वे सबसे अधिक परेशान हैं। अपराधियों के संरक्षक भी परेशान हैं, साथ ही वामपंथी विचारों के लोग भी बहुत परेशान हैं। जो लोग स्वतंत्रता का अर्थ असीमित उच्च्रखलता मानते रहे हैं उन्हें कठिनाई स्वाभाविक है। गोपनीयता को मुददा बनाकर उन्होंने बात का बतंगड शुरु किया है। गोपनीयता व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो सकती है किन्तु नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन से जुड़ जाता है तब उसके मौलिक, संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकार तब तक संगठन के साथ

संयुक्त हो जाते हैं जब तक वह संगठन से मुक्त होने का मन नहीं बना लेता। जब कोई व्यक्ति अपने को किसी राष्ट्र का नागरिक घोषित कर देता है तब उसके मौलिक अधिकार भी सवा सौ करोड़ देशवासियों के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब तक जब तक वह उस संयुक्तता को छोड़ने का मन नहीं बना लेता। यह कैसे संभव है कि आप संगठन के सारे लाभ लेते रहेंगे और संगठन का अनुशासन नहीं मानेंगे। इस तरह मेरे विचार से आधार का विरोध करने वालों की नीयत खराब है। ऐसे लोग क्यूबा, चीन अथवा पाकिस्तान सरीखे देशों से ऐसी मांग क्यों नहीं उठाते जहाँ की राजनैतिक व्यवस्था के वे प्रशंसक हैं। सरकार को अधिक से अधिक तीव्र गति से आधार का विस्तार करना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

(1) पंथराम वर्मा, पूर्व अध्यक्ष, म० प्र० भूदान यज्ञ बोर्ड, दुर्ग छ० ग०

प्रश्न:—कुछ सुझाव ज्ञानतत्व के प्रकाशन के संबंध में।

1 आप देश की साधारण घटनाओं के बारे में समीक्षा या सभालोचना करते रहते हैं, जिसका संबंध इस विचार से नहीं रहता।

2 कभी लालू यादव तो कभी नितीश कुमार, केजरीवाल, मनमोहन जी तथा अनेक राजनीतिज्ञ या सामाजिक व्यक्तियों, संगठनों आदि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, जो थोड़े समय में बदल जाता है और वह लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इन अस्थायी विषयों पर टीका टिप्पणी न करके सैद्धांतिक विषयों पर ही विचार मंथन हो, जैसा कि आंशिक रूप से शुरु भी हुआ है।

3 अभी बलात्कार विषय पर आपकी टिप्पणी आयी है कि विवाह की उम्र को युक्ति संगत किया जाये। वैश्यालयों को पूरी तरह खोल दिया जाये। आपका सुझाव कटु सत्य है किन्तु प्रिय सत्य नहीं। आप जैसे मुनि पद पर पहुँचे हुए व्यक्ति के मुखारविंद से वैश्यालयों को पूरी तरह से खोलने की सिफारिश करना मेरी व्यक्तिगत राय में उचित नहीं लगा। इसके लिये विवाह की उम्र कम करने की बात तक सीमित रह जाना था। जैसे मुसलमानों की तीन तलाक पर बहस होती रहती है। इस बात का समावेश समान नागरिक संहिता के परिपेक्ष्य में आ जाता है।

मेरे एक परम मित्र जो स्वामी की उपाधि प्राप्त कर चुके थे उन्होंने 10-15 प्रतिष्ठित लोगों के बीच घोषणा की कि मैं गृहस्थी होने के बावजूद अब संन्यास लेने का संकल्प करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा था कि घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने तर्क दिया कि 4 लोगों के बीच घोषणा से संकल्प की पूर्ति होने में मदद मिलेगी।

इसके बाद उनकी दो लड़कियाँ और पैदा हो गयी, यह एक उदाहरण मात्र है। जो हमारी कमजोरी का एहसास कराता है। उपरोक्त कथन जो आपके विचार है अन्य मित्रों के माध्यम से भी व्यक्त हो सकते थे। शब्द या वाक्य छोटे हो पर अर्थ उसका असीमित हो ऐसे वचन कहने का हमें अभ्यास करना चाहिये।

4 एक लंबे अंतराल के बाद पत्र लिख रहा हूँ। लिखने का मन पहले से था पर 93 वर्ष की अवस्था में विचार आते जाते रहते हैं, कियान्वित होना संभव नहीं। आपके द्वारा प्रेषित ज्ञानतत्व के अंक बराबर मिल रहे हैं, आपके विचार से अवगत होते रहते हैं।

5 अभी गांधी जी द्वारा संचालित 1996 सन् में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाया गया। सर्व सेवा संघ द्वारा इस वर्ष का सर्वोदय सम्मान मेरे नाम रहा, जो मेरे लिये अप्रत्याशित घटना थी। आमंत्रित होने के कारण वृद्धावस्था के बावजूद उनके आग्रह पर चंपारण मोतिहारी चला गया था। प्रशस्ति पत्र शाल श्रीफल आदि भेट में दिया गया। मैंने कृतज्ञता प्रगट करते हुये संघ के अध्यक्ष श्रीमान महादेव विद्रोही जी का आभार माना।

6 आपके ज्ञानतत्व ने बताया कि सर्वोदय समाज अब साम्यवादियों के कब्जे में चला गया है तथा इनके द्वारा देश में उज्ज्वल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती।

आप सर्वोदय समाज तथा अध्यक्ष श्री ठाकुरदास बंग से कई वर्षों तक जुड़े रहे। इसलिये आपके विचार विचारणीय तो हो ही सकते हैं। मैं भी बंग साहब, सिद्धराज ढढढा जी, श्री धीरेन्द्र मजूमदार से जुड़ा रहा। धीरेन्द्र मजूमदार को मैंने आमंत्रित करके अपने गांव बुलाया था। 84 घंटे का निरंतर चरखा यज्ञ हुआ था। मेरे पिता स्व० उदयराम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 15 वर्षों तक पाटन क्षेत्र से विधायक भी थे।

महात्मा गांधी ने अन्टुदि लास्ट पुस्तक से सर्वोदय की याने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना की है। तभी तो उन्होंने लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते हुये एक छोटी सी पुस्तक लिखी। नाम रखा हिंदस्वराज। उसमें वे कहते हैं। जिसे आप पार्लिया मेंट की माता कहते हैं वह बांझ और वैश्या है। और भी बातें हैं जिससे आप वाकिफ होंगे। अतः ये दो शब्द विचारणीय है। इस वाक्य पर सर्वोदय समाज के अधिवेशनों पर कोई विचार विमर्श नहीं

होता, सर्वोदय की मूल परिभाषा को भुला दिया गया है, और ये दो नहीं तीन खंडों में विभाजित हैं । गांधी विनोबा जयप्रकाश के व्यक्तित्व के पीछे पड़े हैं विचार गौण हो गया है ।

शासन चाहे वह कांग्रेस जनता पार्टी या भाजपा की हो जब जब सत्तासीन हुए हैं देश की जनता का 35-40 प्रतिशत वोट प्राप्त किये हैं । वर्तमान भाजपा सरकार को 68 प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया, सिर्फ 32 प्रतिशत वोट प्राप्त कर बहुमत का प्राप्त कर लिये तब ऐसी सरकार को बहुमत का शासन करने वाली कैसे कहा जाये ।

जिस देश में मतदाता से लेकर विधायक सांसद की खरीद बिक्री होती हो गरीब ईमानदार व्यक्ति चुनकर नहीं आ सकते हो वहां ऐसे प्रजातांत्रिक प्रणाली से सही विकास की दिशा नहीं मिल सकती । आपको भी ज्ञात होगा कि इसके पहले वाली संसद में 128 सांसद दागी थे, याने कुल का नौ बटे चार । 15 सांसद ऐसे थे जिन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी नहीं बोला फिर भी नये कार्यकाल के लिये टिकट दी गई ।

ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाले सभी देशों में है । अपने घर से निकलकर मतदान केन्द्रों में मत देने जाने पर पैसे का कोई सवाल ही नहीं है । फिर भी पैसे वांटे जाते हैं ।

इसीलिये गांधी जी ने श्रीरामचंद्र जी के रामराज के संविधान को मान्य किया था जिसमें बैर न कर काहू सन काई । राम प्रताप विषमता खोई । राम जी ने राज में बैठते ही भूमि का राष्ट्रीयकरण किया ।

संविधान निर्माताओं को मेरे देश के अंदर 5 वेद 6 शास्त्र 18 उपनिषद् पुराण रामायण महाभारत ग्रंथों में भारत के लायक संविधान नहीं मिला जबकि गांधी विभिन्नता वाले देश में एकता वाले युरोप का संविधान नहीं चाहते थे । वसुधैव कुटुम्बकम सवै भूमि गोपाल की नहीं किसी की मालकी । सीय राम मय सब जग जानी करौ प्रणाम जोरि जुग पागी । यही तो सर्वोदय की परिभाषा है । विदेशों से संविधान का आयात हुआ यथा कनाडा से संघीय व्यवस्था , आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, जर्मनी से आपातकाल ।

2 गांधी जी के विचारों की अवहेलना—

1 15 अगस्त 1946 को दिल्ली में जब नेहरु जी लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे तब गांधी किसी कुर्सी पर नहीं थे । वे नोआखाली में साम्प्रदायिक एकता हेतु पदयात्रा एवं उपवास कर रहे थे ।

पंडित नेहरु और सरदार पटेल ने पत्र भेजकर कहा था आपकी कृपा से आजादी मिली आज 15 अगस्त को आपका यहां उपस्थित रहना हम आवश्यक मानते हैं ।

गांधी जी ने जवाब दिया अब मेरे लिये वहाँ कोई स्थान नहीं है । मैं नहीं आ सकता । 14 अगस्त की रात्रि का ब्राडकास्टिक संदेश जो राष्ट्र के नाम पं० नेहरु जी ने दिया रात को नहीं सुने और सो गये ।

2 स्वराज्य मिलने के बाद कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ बनाने का सुझाव दिया वह भी अमान्य हो गया । शायद अब अपने आप वापस होने के कगार पर है ।

3 राम राज बनाम ग्राम राज की उनकी योजना जो हिंद स्वराज पुस्तक में दी गई थी, अमान्य हुआ । और भी अनेक बातें हैं । लार्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति आज भी जारी है जो दुखद है विनोबा जी ने देश भर के सभी स्कूल कालेजों को 2 वर्ष के लिए बंद करके क्या पढ़ाना इस पर निर्णय करने को कहा क्योंकि गलत पढ़ाने से नहीं पढ़ाना अच्छा है । हर स्कूल में पढाई के साथ साथ उत्पादक श्रम और टूर्नामेंट हो जो नई तालिम में है । समाज में श्रमजीवी और बुद्धिजीवी दो राहु केतु है जब कि दोनों को श्रम करना और ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होना चाहिये ।

आइये अब देखे कि समाज व धर्म विघटन कैसे होता है । ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हुए जिन्हें सूली पर इसलिये चढ़ाया गया कि वे कहते थे कि अपने पर जैसा प्रेम करते हो दूसरों पर भी करो । उनकी मृत्यु के बाद दो अनुयायी आपस में कहने लगे कि हमारे ईशु प्रभु ने जो कहा उसका ऐसा अर्थ है दुसरे ने कहा नहीं ऐसा अर्थ है दोनों आपस में लड़े और एक कैथोलिक बना और दूसरा प्रोटेस्टेंट । आपस की लड़ाई का परिणाम ईसाई धर्म दो खंडों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे ।

मुस्लिम धर्म—मुहम्मद पैगंबर की मृत्यु बाद इनके अनुयायी भी दो खंडों में विभाजित होकर, सिया और सुन्नी बन गये । फिर आज भी खूब लड़ते हैं ।

जैन धर्म— इसमें भी श्वेताम्बर और दिगम्बर दो पंथ बन गये ।

हिन्दू धर्म— ये तो कई खंडों में विभाजित हो गया। शैव, विष्णु मनु, शाक्त राम कृष्ण आदि। जैसे किराना दूकान में आप 10 रुपये का किराना मांगोगे तो वह क्या देगा? किराना दूकान है पर किराना नहीं मिलता यहाँ तो तेल गुड़ नमक मिर्च है।

मेरे देश में ब्राम्हण, क्षत्रिय, कुर्मी, तेली, गोड, राउत आदि है पर दुख का विषय है कि हिन्दू नहीं है, देश में बंगाली, बिहारी, तेलगू, पंजाबी, जाट, सिख सब है पर भारतीय नहीं है। आजादी पूर्व देश में स्वराज्य प्राप्ति हेतु कांग्रेस एक ही पार्टी थी अब उसके अनेक पार्ट हो गये। पार्टी माने पार्ट, पार्ट याने टुकड़ा। टुकड़ा टुकड़ा देश हुआ कितना सुनाए दुखड़ा।।

सर्वोदय समाज का विभाजन— आपातकाल के पूर्व जब श्री जयप्रकाश नारायण ने आन्दोलन छेड़ा, उसी समय सर्व सेवा संघ की बैठक सर्वोदय सम्मेलन पचनार वर्धा में हुआ था। तब विनोबा जी ने अपना मौन तोड़कर, श्री जे०पी० को समझाने एक कमरे में दोनों गये। विनोबा ने कहा— रण छोड़ बन जावो, तो जे०पी० ने कहा कदम इतना आगे बढ़ गया है कि वापस नहीं आ सकते।

यह जानकर सर्व सम्मति से निर्णय न होने के कारण सर्व सेवा संघ का वहीं विभाजन हो गया। श्री नरेन्द्र दुबे, निर्मला देश पांडे के नेतृत्व में 55 व्यक्ति संघ से अलग हो गये, इसमें मैं भी एक था।

लेकिन श्री जे० पी० नारायण के पक्ष में 80 प्रतिशत साथी चले गये। फिर आपातकाल को विनोबा ने अनुशासन पूर्व, संपूर्ण कांति को सम्पूर्ण “भ्रांति की संज्ञा दे दी। आगे क्या हुआ आप हम सभी जानते हैं।

श्री मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री तो बने पर 5 वर्ष नहीं चला सके और गाडी जहाँ की तही आ गई। राजनैतिक दांव पंच का शिकार हो गया।

ऐसे में आपके द्वारा संविधान संशोधन, समानांतर संसद का निर्माण कहा तक संभव होगा, उर्जा मूल्य वृद्धि से श्रमिक मजदूरी बढ़ाने की योजना कारगर होने में कठिनाई है क्योंकि अल्पमत के पूंजीपति पूरे समाज पर कंट्रोल कर रहे हैं, सांसद चुनकर आते हैं तब टाटा बिडला के कितने सदस्य हैं ऐसी गिनती होती है।

सर्वोदय का विचार बीज ही एक आशा की किरण दिखती है, लेकिन उस बीज पर पानी डालने का यथाशक्य प्रयास आप जैसे विचारक मुनि जी को सर्वोदय समाज का मार्गदर्शन करते हुए करना चाहिये। सर्वोदय समाज वर्तमान परिपेक्ष्य में नेतृत्वविहीन है। विनाबा द्वारा स्थापित छः आश्रम जिसमें से ब्रह्म विद्या मंदिर पंचनार वर्धा को पावर हाउस मान रहे थे, वे ब्रह्म की साधना में लगे दिखते हैं। विनोबा का यह कथन कि जनता की सेवा ही ब्रह्म की साधना है तिरोहित हो रहा है।

लिखते लिखते यह पत्र पत्र नहीं दस्तावेज बन गया, मैं क्या करूँ? यह कलम की गलती है। पत्र को पढ़ने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराने की कृपा करेंगे।

उत्तर:—(1) मैं दोनों दिशाओं में एक साथ लिखता हूँ। दीर्घकालिक और

तात्कालिक। तात्कालिक विषयों पर भी कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ।

(2) आपने वैश्यालय संबंधी टिप्पणी पर कुछ सलाह दी है। मेरा चिंवार है कि व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं— (1) सामाजिक (2) असामाजिक (3) समाज विरोधी। एक एकसीडेंट ट्रेन में घायल यात्रियों की सेवा करने वाला सामाजिक। सेवा न करके ताश खेलने वाला असामाजिक और उनका सामान लूटने वाला समाज विरोधी होता है। जब समाज को समाज विरोधियों का खतरा अनियंत्रित न हो तब ताश खेलने वाले की आलोचना करनी चाहिये और जब लूटपाट करने वाले मुखर हों, अनियंत्रित हो, तब ताश खेलने वालों को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यदि उस समय उसकी निंदा होगी तो वह मूर्खता हो जायेगी। मैंने अपने को स्वतः संन्यासी माना है किन्तु संन्यास की घोषणा नहीं की है फिर भी मैं अपना आचरण चुपचाप उस दिशा में बढ़ाता रहता हूँ। यही कारण है कि मैंने अब तक अपने कपड़े नहीं रंगे।

(3) आपने सर्वोदय और गांधी विचार की विस्तृत विवेचना की है। मैं इससे कुछ भिन्न मत रखता हूँ। स्वराज्य गांधी का लक्ष्य था और अहिंसा, सत्य, खादी, आदर्श ग्राम, छुआछूत निवारण चरित्र निर्माण, मार्ग। गाँधी हत्या के बाद सर्वोदय भटक गया और उसने मार्ग को ही लक्ष्य मान लिया। कल्पना करिये कि गांधी आगरा से दिल्ली के लिए चले और मथुरा में उनकी हत्या हो गई तो गांधीवादी आगरा से मथुरा तक के रास्ते को गांधी मार्ग समझकर उस पर निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैं मथुरा से दिल्ली जाने की सड़क खोज रहा हूँ। गाँधी यदि स्वराज्य की लड़ाई नहीं लड़ते और अहिंसा सत्य तक अपने को सीमित कर लेते तो वे जैन मुनि मान लिए जाते किन्तु स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं पाते। अधिकांश राजनेता गांधी के स्वशासन से सहमत नहीं थे और गांधी हत्या

होते ही सेवाग्राम में बैठक करके नेताओं ने सर्वोदय वालों को धोखा देकर उन्हें आदर्श ग्राम का लक्ष्य दे दिया और स्वयं सुशासन का दायित्व घोषित कर दिया जबकि सुशासन स्वशासन का परिणाम होता है, आधार नहीं। सुशासन के बाद स्वशासन कभी नहीं आ सकता।

विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदय के लोग अपना झोला डंडा उठाकर आदर्श ग्राम के लिए ईमानदारी से लग गये और राजनैतिक नेता समाज के सारे अधिकार और माल मलाई अपने पास इकट्ठी करने में सक्रिय हो गये। गांधी के विचार में सर्वोदय का अर्थ अधिकारविहीन और सर्वाधिकार सम्पन्न के बीच की दूरी को घटाना था किन्तु वह दूरी निरंतर बढ़ती चली गई। जय प्रकाश जी ने उस दिशा में पहला प्रयास किया। किन्तु चरित्रवान और ईमानदार गांधी भक्तों के बीच मतभेद होने से जयप्रकाश जी को राजनेताओं की मदद लेनी पड़ गई और फिर से वही इतिहास दुहराया गया जैसा नेताओं ने गांधी के साथ किया था। 1993 में ठाकुर दास जी बंग, सिद्धराज ढढढा, मनमोहन भाई ने मिलकर फिर से स्वशासन की दिशा में बढ़ना चाहा तो सर्वोदय के लोगों ने उन्हें रोक दिया। मैं बचपन से ही गांधी के विषय में न के बराबर जानता था किन्तु मैं पूरी तरह सुशासन के विरुद्ध स्वशासन का पक्षधर था। मेरा मानना था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वशासन की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं अपने तरीके से अपने शहर में लड़ता रहा। सन् चौरान्ने के आसपास बंग साहब, सिद्धराज जी आदि ने मुझे गांधी विचारों के विषय में बताया। तब मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ और न ही मेरी सोच पहली बार सामने आयी है। ज्यों ही हम लोगों ने मिलकर स्वशासन की दिशा में सोचना शुरू किया त्यों ही सर्वोदय का एक गुट पूरी ताकत से विरोध में आ गया। कुमार प्रशांत उस विरोध का नेतृत्व करने लगे और अमरनाथ भाई दोनों समुहों के बीच में आ गये। बंग साहब, सिद्धराज जी तथा मैं मिलकर सत्ता के केन्द्रियकरण को पहला गांधी विरोधी प्रयास मानने लगे। तो दूसरा गुट संघ परिवार को पहला गांधी विरोधी गुट मानता रहा। यह टकराव इस सीमा तक बढ़ा कि अंत समय तक बंग साहब दूसरे गुट को समझाते रह गये और दूसरा गुट बंग साहब के गुट को अलग थलग करता रहा। यहाँ तक कि 2007 में बंग साहब को सर्वोदय आश्रम में लोकस्वराज्य की चर्चा करने से भी रोक दिया गया। जब भी प्रमुख लोगों की कोई बैठक होती थी और बंग साहब के कहने पर मैं भी शामिल होता था तो वहाँ कुमार प्रशांत, राकेश रफीक आदि की टीम हावी हो जाती थी। अमरनाथ भाई दब जाते थे और मनमाना निर्णय हो जाता था। कटक सम्मेलन में बंग साहब के स्वशासन के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया।

मैंने सर्वोदय को साम्यवाद प्रभावित लिखा है। आप विचार करिये कि हमेशा सर्वोदय के लोग नक्सलवादियों के पक्ष में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। कभी सर्वोदय के लोगों ने साम्यवाद की आलोचना नहीं की किन्तु पूँजीवाद की आलोचना में हमेशा मुखर रहे। गुजरात के चुनाव में नरेन्द्र मोदी का विरोध करने के लिए सर्वोदय ने प्रस्ताव पारित करके अपनी प्रतिष्ठा दाव पर लगाई। किन्तु कभी बंगाल या केरल में अपने को शामिल करना उचित नहीं समझा। जब भी कभी विद्युत उत्पादन बढ़ाने का सरकारी प्रयास हुआ तो सर्वोदय विरोध स्वरूप सबसे आगे आया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिकी परमाणु या अणु उर्जा के विरोध में अकेला सर्वोदय जंतर मंतर पर धरना देने को खड़ा हुआ। संसद भवन पर आक्रमण का आरोपी गिलानी जब न्यायालय से निर्दोष घोषित हुआ तब सर्वोदय के लोगों ने उसके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। बताइये कि मैं किस निष्कर्ष पर पहुँचू। सर्वोदय भी जानता है कि साम्यवाद इस्लाम और संघ परिवार सत्ता के केन्द्रियकरण के पक्षधर है तो सर्वोदय को साम्यवादी और मुसलमानों के पक्ष में इतना आगे आना क्यों आवश्यक हुआ। जबकि बंग साहब सिद्धराज जी सरीखे लोग स्वशासन का प्रयोग करना चाहते थे।

मैं गांधी जी का अनुकरण नहीं कर रहा। स्वयं गांधी ने भी परिस्थिति अनुसार नया मार्ग चुना था न कि किसी का अंधानुकरण किया था। मैं तो सत्य और अहिंसा के मार्ग से स्वशासन की दिशा में संघर्ष कर रहा हूँ। वर्तमान समय में ग्राम संसद अभियान को मेरा पूरा मार्ग दर्शन प्राप्त है। ग्राम संसद का अर्थ है प्रत्येक ग्राम वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने आंतरिक कानून बनाने और कार्यावित करने की स्वतंत्रता। इस कार्य में और सर्वोदय के कार्य में क्या अंतर है यह आप बताने की कृपा करें। सर्वोदय के प्रमुख लोग इस कार्य से दूरी क्यों बनाकर रख रहे हैं यह मुझे पता नहीं। सर्वोदय के ही कई लोग ग्राम संसद अभियान को निरंतर आगे भी बढ़ा रहे हैं किन्तु ये लोग इस अभियान में संघ परिवार मुसलमान या साम्यवादी के साथ कोई छुआछूत नहीं रख रहे बल्कि जो भी व्यक्ति स्वशासन का पक्षधर है उन सबको शामिल करते जा रहे हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी ओमप्रकाश दुबे, आचार्य पंकज इस टीम का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल

है। मैं समझता हूँ कि यह टीम जो कार्य कर रही है वही गांधी का मथुरा से दिल्ली पहुंचने का अधुरा बचा कार्य पूरा करने का प्रयास है। आगरा से मथुरा तक की दौड़ को गांधी मार्ग समझने वालों से मैं सहमत नहीं।

आपने इस उम्र में इतना परिश्रम करके महत्वपूर्ण पत्र लिखा। आपकी चिंता और मेरी चिंता में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में ही सहभागी लोकतंत्र, लोकस्वराज्य, स्वशासन, ग्राम स्वराज्य, सम्पूर्ण कांति अथवा आप कोई भी और नाम दे दें तथा गांधी विनोबा, जयप्रकाश लोहिया, किसी के भी विचारों से जोड़ दें किन्तु अहिंसा और सत्य के मार्ग से इस लड़ाई को जीतने का पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से सफल हो सकेगा। सर्वोदय के लोगों को तय करना है कि वे गांधी के नाम पर अपनी सुख सुविधाओं की अधिक चिंता करते हैं अथवा मथुरा से दिल्ली की दिशा में बढ़कर गांधी का अधुरा काम पूरा करते हैं। आपके उत्तर की प्रतिक्रिया रहेगी।

3 प्रश्न—गोपाल कृष्ण गांधी ने याकुब मेनन की फांसी के संबंध में बोलते हुए अपने दादा महात्मा गांधी का नाम लिया। आपका क्या विचार है।

उत्तर—महात्मा गांधी के पौत्र गोपालकृष्ण गांधी को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। स्वाभाविक है कि पक्ष-विपक्ष के बीच उम्मीदवार की जीवनी पर विशेष चर्चा हो। सत्ता पक्ष ने गोपालकृष्ण पर आरोप लगाया है कि उन्होंने याकुब मेनन जैसे खूंखार आतंकवादी की फांसी टालने का प्रयत्न किया इसलिए वे उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं। मेरे विचार में किसी उम्मीदवार की योग्यता के आकलन का यह एकमात्र ऐसा आधार नहीं है जिसे इतना महत्व दिया जाये। उनमें इसके अतिरिक्त अनेक योग्यताएँ भी हो सकती हैं।

गोपालकृष्ण गांधी ने सैद्धांतिक रूप से फांसी का विरोध किया क्योंकि वे गांधी जी की अहिंसा को अपनी पहचान बनाना चाहते थे। मेरे विचार से उनकी यह सोच गलत थी। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुये गांधी जी का अहिंसा का शस्त्र सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम था। गांधी जी ने किसी की नकल न करके नया मार्ग चुना था। गोपालकृष्ण देशकाल परिस्थिति के आधार पर कुछ नया न करके गांधी जी के नाम पर साम्यवाद की नकल कर रहे हैं। समाज में हिंसा बढ़ती रहे, विशेषकर बंगाल में चरम पर हो जहाँ के वे राज्यपाल थे और राज्यपाल अपराधियों को नरम दण्ड देने की सिफारिश करें यह नाटक मात्र है, वास्तविकता नहीं। दण्ड का उद्देश्य अपराधियों के मन में भय पैदा करना तथा सामान्य लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास पैदा करना होता है। यदि फांसी से भी यह उद्देश्य पूरा नहीं होता तो इससे भी अधिक अमानवीय दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे विचार में श्री गोपाल कृष्ण गांधी समस्या का समाधान न खोज कर सिर्फ नकल करते रहे। एक तर्क यह भी है कि श्री गांधी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरे विचार में यह तर्क ठीक है यदि उन्होंने याकुब मेनन के पक्ष में अपना मत व्यक्त करने की सीमा का उलंघन न किया होता। श्री गांधी ने सीमा का उलंघन करके याकुब मेनन को बचाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। जबकि ऐसी सक्रियता का अधिकार वकील, रिश्तेदार, मित्र अथवा उसी व्यक्ति को हो सकता है जो अपराधी को व्यक्तिगत रूप से निर्दोष मानता हो। सैद्धांतिक रूप से फांसी का विरोध करने वाला किसी व्यक्ति विशेष की फांसी में सक्रिय रुचि ले तो उसकी नीयत पर संदेह होता है। मैं समझता हूँ कि गोपालकृष्ण गांधी ने सक्रियता दिखाकर गलत कार्य किया। यह अवश्य है कि श्री गांधी पर प्रश्न उठाने वाले भी दूध के घुले नहीं हैं क्योंकि ये लोग भी नाथूराम गोडसे की फांसी पर घुमाफिराकर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं।